नारवन उर्फ नारन

बनाम

राजस्थान राज्य

10 अप्रैल, 2007

[एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 अंतर्गत धारा 376 और 392

बलात्कार -अभियुक्त पर पिडिता के साथ ट्रैक्टर ट्रोली में तीन बार बलात्कार करने तथा उसके सोने के टोपस और नगदी को छीनने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट-चार्जशीट-विचारण न्यायालय ने अभियुक्त् को धारा 376, 392 के तहत दोषी पाया और दोषसिद्ध करते हुए दंडादेश पारित किया- अपील में माननीय उच्च न्यायालय ने सजा को संपुष्ट किया और यह निर्धारित किया कि क्योकि पिडिता का साक्ष्य बहुत ज्यादा विरोधाभाषी है। उसके साक्ष्य की संपुष्टि किसी भी गवाह के बयानों से नही हुआ है। विशेष रूप से पीडब्लू-6 का साक्ष्य, जो एक तात्विक गवाह है-अभियोजन भा.द.स. की धारा 376 और 392 के तहत जो भी आरोप है उनको स्थापित करने में पूर्ण रुप से विफल रहा इसिलिए अभियुक्त् पर अधिरोपित दोषसिद्धी व दंडादेश अपास्त किए जाते है और यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त इस आदेश के तहत रिहा किया जाए।

दुर्भाग्यपूर्ण रात को, जब पीडिता शाम लगभग 7 साढे सात बजे मिर्च बेच रही थी, तब अपीलार्थी ने उसे लुभाया और उसे एक ट्रैक्टर में ले गया, जिसे वह खुद चला रहा था। जब उसको पेशाब करने की शंका हुई तब उसने नाले के पास ट्रैक्टर रोका और पीडिता को कथित तौर पर उसे ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे घसीट कर बलात्कार किया। वह चिल्लाने लगी लेकिन अपीलार्थी ने अपने हाथों से उसका मुँह दबा दिया। उसने दो बार और अपराध दोहराया और अंत में वह उसे एक तालाब के किनारे ले गया, उसे

ट्रॉली से नीचे उतार दिया और उसे तालाब में धकेलने की धमकी दी और जबरन उसके सोने के टॉप और 1,000/- नकद छीन लिए और उसके बाद अपने ट्रैक्टर में घटना स्थल से भाग गया। पीडिता गाँव पहुँची और एक महिला पी.डब्ल्यू. 06 के घर रात में शरण ली। फिर उसने घटना के बारे में गांव के सरपंच को बताया जिसने पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 366,376 और 392 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद अनुसंधान अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और 392 के तहत आरोप पत्र दायर किया। विचारण न्यायालय ने आरोपी को अंतर्गत धारा 376, 392 भा.द.स. का अपराध करने का दोषी पाया। तदनुसार दोषसिद्ध करके सजा सुनाई। अपील में अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय द्वारा अपील को अनुमति दी गई।

1.1 न्यायालय ने निर्धारित किया कि-पीडिता (पीडब्लू-3) ने पहली बार अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कहा कि आरोपी ने उसको अपने गांव आने का पुछा और सुबह छोडने के लिए कहा और ऐसा कहकर उसने उसे रास्ते में छोड़ दिया और ट्रॉली से मिर्च के बोरे भी खींच लिए। क्रॉस-परीक्षा में पीडिता (पीडब्लू-3) ने कहा कि वह लगभग 5 बजे ट्रॉली में सवार हुई शाम को और 7 बजे तक वे गाँव पहुँच गए। उसने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि आरोपी द्वारा उसके साथ बलात्कार करने के बाद भी वह खुशी-खुशी ट्रैक्टर में बैठ गई। अपने साक्ष्य में उनके द्वारा यह नहीं कहा गया है कि उन्होंने बहुत गाँवों से गुजरते हुए भी कोई शोर मचाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ तीन बार बलात्कार किया, लेकिन साक्ष्य में उसने कहा कि आरोपी ने उसके साथ केवल दो बार बलात्कार किया, तीन बार नहीं। उसके अनुसार कांकड पर उसके साथ बलात्कार किया गया था। उसने यह नहीं कहा कि

उसने कोई प्रतिरोध की पेशकश की, हालांकि वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थी। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडिता के शरीर पर कोई चोटें नही है ना ही उसके निजी हिस्से पर कोई चोट थी। अंततः यह राय दी जाती है कि "बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है, हालाँकि पीडिता आदतन यौन संभोग की आदी है।" इन परिस्थितियों में, यह विश्वास करना संभव नहीं है कि पीडिता को आरोपी द्वारा दो बार बलात्कार का शिकार बनाया गया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।[पैरा 10 और 11] [1101-डी;1102-डी-एफ]

1.2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ पीडिता के साक्ष्य में पीडिता ने कहा कि उसने आरोपी द्वारा उसके साथ बलात्कार करने के पूरे प्रकरण का खुलासा पीडब्लू-6 को किया, जिसके घर पर वह उस दुर्भाग्यपूर्ण रात सो रही थी। उसने आरोपी द्वारा रुपये 1000/- रुपए और गहने छीनने के बारे में भी बताया। हालाँकि, पीडब्लू-6 ने अपने साक्ष्य में कहीं पर यह नहीं कहा कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ बलात्कार किया जिसका अभियुक्त पर आरोप है। इस प्रकार पीडिता का साक्ष्य तात्विक विरोधाभाषो से भरा है। किसी भी साक्षी ने विशेष रूप से पीडब्लू-6 ने अपने साक्ष्य में कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। [पैरा 12][1103-ए-बी]

1.3. यह सच है कि पीडिता का साक्ष्य अपने आप में अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त है लेकिन उसका साक्ष्य इतना बनावटी है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा। [पैरा 12 और 13] [1103-सी-डी]

1.4. जहाँ तक अपीलार्थी के खिलाफ धारा 392 भा.द.स.के तहत आरोप का प्रश्न है वहां पर मात्र पीडिता के कथन ही है इसके अलावा कोई साक्ष्य नही है इसलिए मात्र

पीडिता का बयान बनावटी होने के कारण यहां पर स्वीकार्य नही है। अपीलार्थी के विरुद्ध जो आरोप पीडिता द्वारा लगाए गए है उनको साबित करने में पीडिता असफल रही है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376, 392 भा.द.स. में जो दोषसिद्धी व दंडादेश पारित किया गया है उसे अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जो जेल में है, उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है। जब तक कि उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो।(पैरा 14,15 और 17][1103-डी-एफ]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 526/ 2007 .

राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ एस.बी. सी.आर.एल 917/2002 के 28.02.2006 दिनांकित निर्णय आदेश से।

अपीलार्थी के लिए एन.एम. पोपली और (ए.सी.)।

उत्तरदाता की ओर से डॉ. एन.एम. घटाटे और जतिंदर कुमार भाटिया। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था न्यायाधिपति बी. सुदर्शन रेड्डी, द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील विशेष अनुमति द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ निर्देशित है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत दोषी ठहराए जाने और दस साल के कठीन कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की पुष्टि की। 1,000/- रूपये जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन महीने के कठोर कारावास और आई.पी.सी. की धारा 392 के तहत दस साल के कठोर कारावास से गुजरना होगा। कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना। 1,000/- रूपये जुर्माने का भुगतान न करने पर और तीन महीने के कठोर कारावास से गुजरना होगा। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थी पर

श्रीमती चंडी (पीडब्लू-3) पत्नी श्री छगन लाल पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। अपीलार्थी पर आईपीसी की धारा 392 के तहत दंडनीय अपराध का भी आरोप लगाया गया था।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि श्रीमती चंडी दिनांक 25.8.1999 को गाँव सिंहजी-का-खेरा में शाम करीब 7 साढे सात बजे मिर्च बेच रही थी अपीलार्थी नारायण उसके पास आया और उसे बताया कि उसके भाई की उसके गाँव में एक दुकान है और वह उसकी मिर्च अपने भाई की दुकान पर बेचकर लाएगा। तदनुसार उन्होंने ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली में दो बोरे मिर्च लादी, जिसे अपीलार्थी स्वयं चला रहा था। वह भी ट्रॉली में चढ़ गई। अपीलार्थी ने ट्रैक्टर को जंगल में चलाना शुरू कर दिया। तब तक अंधेरा हो चुका था। कुछ समय गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने ट्रैक्टर को एक नाले के पास रोक दिया जहां पर पेशाब की शंका जता कर उसने लम्बूल के पेड़ के पास रोक दिया अपीलार्थी पीछे ट्रॉली में घुस गया और मिर्च के बोरे खींचकर जमीन पर फेंक दिए और पीडिता को भी ट्रॉली से नीचे उतार दिया। उसने उसे ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे घसीटा और बलात्कार किया। वह चिल्लाने लगी लेकिन अपीलार्थी ने अपने हाथों से उसका मुँह दबा दिया। इसके बाद, अपीलार्थी ने मिर्च के थैलों को ट्रैक्टर में भर दिया और उसे ट्रॉली में बिठाया और इधर-उधर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। वह इधर-उधर घूमता रहा और कैक्टस के पौधों से घिरे सेरिया (एक जगह) में ट्रैक्टर को रोक दिया। अपीलार्थी ने फिर से उसे ट्रैक्टर से नीचे उतार दिया और जबरन बलात्कार किया। जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो अपीलार्थी ने उसका मुँह बंद कर दिया। फिर उसने फिर से मिर्च के थैले भरे और उसे अंदर बैठा दिया। ट्रॉली चलाकर उसे एक शेड में ले गया और एक बार फिर बलात्कार किया। अंत में वह उसे एक तालाब के किनारे ले गया, उसे ट्रॉली से नीचे उतार दिया और उसे तालाब में धकेलने की धमकी दी और जबरन सोने के टॉप व एक हजार रुपए नगदी छीन लिए और उसके बाद अपने ट्रैक्टर

में घटना स्थल से भाग गया। फिर पीडिता गाँव आकोरिया पहुँची और रात के लिए एक श्रीमती तेज कंवर (पीडब्लू-6) के घर में शरण ली। रिपोर्ट एक्स. पी.-4 में यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा पीडिता के साथ तीन बार बलात्कार किया गया और एक हजार रुपए व सोने के टोपस को जबरन छीन लिया गया है। रिपोर्ट (एक्स. पी.-4) के आधार पर पुलिस स्टेशन कोटडी, जिला भीलवाड़ा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स. पी-5) और अपीलार्थी के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 366, 376 और 392 के तहत मामला दर्ज किया।

4. जाँच के दौरान पुलिस मौके पर गई घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और नक्शा मौका तैयार की गई, अभियोजक की चिकित्सकीय जाँच की गई और उसकी चिकित्सकीय जाँच की गई। परीक्षा रिपोर्ट (एक्स. पी.-1) प्राप्त की गई थी। श्रीमती का तेज कंवर के बयान दर्ज किए गए जो प्रदर्श पी-11 है। बाद अनुसंधान पुलिस ने अपीलार्थी के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 और 392 के तहत आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 12 गवाहों (पीडब्लू-1 से पीडब्लू-12) की जांच की और 18 दस्तावेजों को चिह्नित किया गया जो प्रदर्श पी-1 से पी-18 है। अपीलार्थी की धारा 313 सीआर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने कहा कि सरपंच रामकुंवर जो कि पी.डब्ल्यू 07 है उसकी मेरे साथ शत्रुता है इसलिए उसने मुझे झूठा फंसाया गया है ।

5. डॉ. रमेश डीडवानिया (पीडब्लू-1) ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि अपीलार्थी यौन संबंध बनाने में सक्षम था। रामकुंवर (पीडब्लू-7) ने यह बताया कि लगभग 3 साल पहले श्रीमती चंडी उसके पास और उसको बताया कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्कार किया है। उसने यह बताया कि उस समय उसका घाघरा फटा हुआ था। रमेश चंद्र (पीडब्लू-9), एस.एच.ओ. ने यह बताया कि हमे रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 दिनांक 25.8.1999 को मिली जिसके आधार पर हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 दर्ज की और उसके

बाद अनुसंधान करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपीलार्थी और पीडिता दोनों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया घाघरा जिस पर सीमन के धब्बे थे उसको सील करके फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री में भेजा जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 है।

6. इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या अभियोजन पक्ष का मामला अपीलार्थी के खिलाफ उचित संदेह से परे है हमें मामले में पीडिता पी.डब्ल्यू 03 व श्रीमती तेजकंवर पी.डब्ल्यू 06 जिसके साथ पी.डब्ल्यू 03 उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को रुकी थी तथा जिसे यह बताया गया कि अपीलार्थी ने पीडिता के साथ मे बलात्कार किया है, इस साक्ष्य का गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है। रामकंवर (पीडब्लू-7) का साक्ष्य, जो कोई और नहीं बल्कि गाँव का सरपंच है, जिसने प्रदर्शनी पी-4 (रिपोर्ट) तैयार की और प्रस्तुत की, जिसके आधार पर एफ.आई.आर. (एक्स. पी-5) जारी किया गया था, इसका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन भी किया जाना आवश्यक है।

7. प्रदर्श पी-4 (रिपोर्ट) में पीडिता (पीडब्लू-3) ने आरोप लगाया कि जब पीडिता सिंहजी-का-खेरा गाँव की कॉलोनी बोलों में मिर्च बेच रही थी, दिनांक 24.8.99 को आरोपी ट्रैक्टर चलाते हुए लगभग 7 या 7:30 बजे आया और अपने गाँव में अपने भाई की दुकान में उसकी मिर्च बेचने की पेशकश की। "पहले से ही ट्रॉली में बैठे लोगों की मदद से" उसने ट्रॉली में दो बोरे मिर्च रखी "यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी ने एक नाले के पास ट्रैक्टर को रोका था जहां "लम्बूल" के पेड़ थे और जबरन उसके साथ बलात्कार किया था। वह चिल्लाने लगी लेकिन अपीलार्थी ने उसका मुँह ढक लिया। वह फिर ट्रॉली में बैठ गई। ट्रैक्टर को "सेरिया" में रोका गया जहां अपीलार्थी ने फिर से बलात्कार किया। उसने फिर से चिल्लाने की कोशिश की लेकिन अपीलार्थी ने उसका मुँह ढक लिया। उसने एक बार फिर उसे ट्रैक्टर में बिठाया और उसे एक शेड में ले गया और एक बार फिर उसके साथ बलात्कार किया। कि तीन बार बलात्कार करने के बाद अपीलार्थी पीडिता को एक तालाब के किनारे ले गया जहाँ उसने जबरन एक

हजार रुपये छीन लिए और पीडिता से सोने की टोपस छीन लिए और अपने ट्रैक्टर के साथ भाग गया ।

8. हमें यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे व्यक्ति जो पहले से ही ट्रॉली में बैठे थे जब पीडिता पहली बार ट्रॉली में बैठी थी उनको परीक्षित नही करवाया गया। श्रीमती तेजकंवर (पीडब्लू-6) ने अपने बयानो में कहा गया है कि भयावह रात को लगभग 10 या 11 बजे पीडिता ने उसका दरवाजा खटखटाया और उसने दरवाजा खोला। परिवार के अन्य सदस्य घर में सो रहे थे। पीडिता ने कहा कि वह विष्णिया की निवासी है और उससे एक चादर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि वह रात में सो सके। उसके साक्ष्य का तात्विक भाग इस प्रकार हैः "उसने कहा, "मुझे चादर दे दो और मैं सो जाऊँगी।" हमने उसे सोने के लिए चादर दी और वह सो गई। उसने मुझे और कुछ नहीं बताया। मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। सुबह वह मेरे घर से चली गई। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया था और लोक अभियोजक द्वारा उससे जिरह की गई थी प्रतिपरीक्षण में उसने यह कहा कि मेरे बयान पुलिस स्टेशन में लिए गए जिसमें ए से बी में यह कहा गया कि पीडिता रो रही थी उसने उन बयानो को अस्वीकार किया उसने यह स्पष्ट रुप से कहा था कि वह नही रो रही थी। उसके इस बयानो से यह प्रभावित होता है कि उसने पी.डब्ल्यू 03 द्वारा बताए गए बलात्कार करने के बारे में कुछ भी खुलासा नही किया गया है ।

9. राम कुमार (पीडब्लू-7) अखेपुर गांव के प्रासंगिक समय में सरपंच थे अपने साक्ष्य में उसने कहा कि अभियोजक सुबह लगभग 8 या 9 बजे उसके पास आया और उसे बताया कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्कार किया था। वह उसे कोठडी पुलिस स्टेशन ले गई। उसने उसे बताया कि अपीलार्थी ने उसके साथ तीन बार बलात्कार किया था। तदनुसार उन्हें रिपोर्ट मिल गई (प्रदर्श् पी-4) दाखिल किया गया जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए।

10. पीडिता (पीडब्लू-3) अदालत में पहली बार अपने साक्ष्य में कहा कि आरोपी ने उसे अपने गाँव आने और सुबह जाने के लिए कहा और ऐसा कहकर उसने उसे रास्ते में छोड़ दिया और ट्रॉली से मिर्च के बोरे भी निकाल लिए। यह सोचकर कि पीडिता का बयान साक्ष्य के विवेचन में उपयोगी होगा इसलिए उसके कथनो को स्वीकार कर लिया गया ।

"आरोपी ने मुझे अपने गाँव आने और वहाँ से जाने के लिए कहा। सुबह। फिर उन्होंने मुझे कंकड़ (उबड़-खाबड़ रास्ते) पर छोड़ दिया और मेरे बोरो गिरा दिया। अभियुक्त ने मिर्चीयो को बेचने के बारे में कुछ नहीं कहा आरोपी ने कहा था कि उसका भाई खरीद लेगा और मुझे मिर्च के दोनों बोरे और मुझे उसके साथ उसके पास आने के लिए कहा फिर आरोपी ने कंकड़ में मेरे साथ दो बार बलात्कार किया फिर उसने कहा कि वह मुझे तालाब में फेंक देगा। उस पर यह मैंने कहा कि मैं तैरकर तालाब से बाहर आ सकती हूं। मुझे नीचे उतारने के समय आरोपी ने मुझे नीचे आने के लिए कहा क्योंकि वह मेरा नौकर नहीं है और उसने दोनों बोरे जमीन पर फेंक दिए उसके आरोपी ने बलात्कार किया, फिर उसने मेरा मुंह ढक लिया और मुझे धमकी दी कि वह मेरा कान काट देगा। फिर आरोपी ट्रेक्टर लेकर फरार हो गया। इसके बाद मैं गांव चली गई। रात के 8 बज रहे थे, कुत्ते गाँव में भौंक रहे थे, तब मुझे दरोगा की बहु मिली तो मैने उसे बताया कि नारायण ने मेरे साथ बलात्कार किया है फिर उन्होने कहा कि नारायण इसी तरह का व्यक्ति है। अभियुक्त ने मुझसे एक हजार रुपए छीन लिए व मेरे आभुषण भी छीने उसके बाद मै इसके बाद अकोडिया गया। फिर मैं दरोगा के घर पर दरोगा की बहु के साथ उसी गांव में सो गई। उसके बाद मैं सरपंच के पास गई, मुझे

उनका नाम याद नहीं है उसके बाद सरपंच मुझे कोटडी लेकर गया फिर हम दोनो ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। नारन ने सफेद कमीज और सफेद धोती पहनी हुई थी। डॉक्टर ने मेरा परीक्षण किया प्रदर्श पी-1 वह चिकित्सा रिपोर्ट है जिस पर मेरे हस्ताक्षर ए से बी तक हैं। पुलिस रिपोर्ट प्रदर्शपी-4 है जिसपर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है चाक एफ आई आर जिसपर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस द्वारा नक्शा मौका तैयार किया गया जो प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। चिकित्सकीय पर्ची प्रदर्श् पी 7 जिससे पुलिस ने मेरा घाघरा अभिरक्षा में लिया गया प्रदर्श पी 08 फर्द जब्ती जो कि घाघरा था जिसपर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। घाघरा पूरी तरह से खराब हो गया था।"

11. प्रतिपरीक्षा में पीडिता(पीडब्लू-3) ने कहा कि उसने शाम को लगभग 5 बजे ट्रॉली में सवार हुए और 7 बजे तक वे सिंहपुर गाँव पहुँच गए। सिंहपुर और अकोडिया के बीच कई गाँव थे। इसका भी विवेचन करने की आवश्यकता है कि पीडिता ने अपने साक्ष्य में कहा कि आरोपी द्वारा उसके साथ बलात्कार करने के बाद भी वह खुशी-खुशी ट्रैक्टर में बैठ गई। अपने साक्ष्य में उनके द्वारा यह नहीं कहा गया है कि उन्होंने गाँवों की संख्या से गुजरते हुए भी कोई शोर मचाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में (प्रदर्श पी-5) उसने कहा कि आरोपी ने उसके साथ तीन बार बलात्कार किया लेकिन सबूत में उसने कहा कि आरोपी ने उसके साथ केवल दो बार बलात्कार किया है न कि तीन बार। उसके अनुसार कांकड़ पर उसके साथ बलात्कार किया गया था। उसने यह नहीं कहा कि उसने कोई प्रतिरोध की पेशकश की, हालांकि वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थी। चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) यह कहती है कि पीडिता (पीडब्लू-3) के शरीर पर कोई चोट नहीं थी व न ही उसके निजी हिस्से पर कोई चोट थी। अंततः यह राय दी जाती है

कि "बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है, हालाँकि, वह यौन संभोग की आदी है।" इन परिस्थितियों में, क्या यह विश्वास करना संभव है कि पीडिता (पीडब्लू-3) का अभियुक्त द्वारा दो बार बलात्कार किया गया है जैसा कि आरोप लगाया गया है? पहली जानकारी में रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) में यह कहा गया है कि पीडिता (पीडब्लू-3) के साथ आरोपी द्वारा तीन बार बलात्कार किया गया है जबकि अपने साक्ष्य में उसने कहा है कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ केवल दो बार बलात्कार किया गया। पीडिता (पीडब्लू-3) के अनुसार भी आरोपी गाँवों की संख्या को पार करते हुए सिंहपुर से भार्किया तक ट्रैक्टर चला रहा था। पीडिता (पीडब्लू-3) द्वारा कही भी यह नहीं कहा गया है कि उसने किसी भी समय ट्रैक्टर से उतरने का कोई प्रयास किया था। दूसरी ओर, उसके द्वारा कहा गया है कि वह खुशी-खुशी ट्रैक्टर में बैठ गई।

12. इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रथम सूचना रिपोर्ट और साथ ही अपने साक्ष्य में पीडिता (पीडब्लू-3) ने कहा कि उसने आरोपी द्वारा उसके साथ बलात्कार करने के पूरे प्रकरण का खुलासा श्रीमती तेजकंवर (पीडब्लू-6) को किया जिसके घर अकोडिया गाँव में वह उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को सोई थी। उसने यह भी बताया कि आरोपी ने उससे एक हजार रुपये नगदी छीनने और गहने भी छीने थे। श्रीमती तेजकंवर (पीडब्लू-6) ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा कि पीडिता (पीडब्लू-3) ने उसे आरोपी द्वारा उसके साथ किए गए बलात्कार की घटना के बारे में बताया। पीडिता (पीडब्लू-3) का साक्ष्य तात्विक विरोधाभासों से भरा है। साक्ष्य में किसी भी गवाह की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है विशेष रूप से श्रीमती तेजकंवर (पीडब्लू-6) के जो एक तात्विक गवाह है। यह सच है कि पीडिता (पीडब्लू-3) का साक्ष्य अपने आप में अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसका साक्ष्य इतना बनावटी है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

13. इन परिस्थितियों में हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ भा.द.स. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा।

14. जहाँ तक अपीलार्थी के विरुद्ध भा.द.स. की 392 धारा के तहत आरोप विरचित किया गया है पीडिता (पीडब्लू-3) के स्वयं के बयान के अलावा कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है जिसे हम उपर दिए गए उसी कारण से स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इसिलिए अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित किया गया उक्त आरोप भी विफल हो जाता है।

15. उपरोक्त सभी कारणों से हम यह पाते है कि अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 392 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध स्थापित आरोपो को साबित करने में पूर्ण रुप से विफल रहे है। अतः भा.द.स. की धारा 376 और 392 के तहत पारित दोषसिद्धि व दंडादेश को तदअनुसार अपास्त किया जाता है।

16. अपील स्वीकार्य है।

17. यदि अपीलार्थी जेल में है तो उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है। जब तक कि अपीलार्थी की किसी भी अन्य मामले में आवश्यकता न हो।

एस.के.एस. अपील स्वीकार्य है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी इसरार खोखर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।